न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – जे. एस. संधु, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 06 / 17

1 छीतरलाल आत्मज बिरधी लाल
2 मदन लाल आत्मज बिरधी लाल
जाति ब्राहम्ण, निवासीगण भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा — वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा — प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 21.03.2018

उपस्थिति : श्री जितेन्द्र शर्मा, वादी वकील

निर्णय

वादी की ओर से वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मे पुराने खसरा नम्बर की 374 की 35 बीघा 3 बिस्वा भूमि सरकार बिला नाम दर्ज चली आ रही थी। पुराने खसरा नम्बर की 374 की 35 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से विगत 50 वर्षो से 21 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा था इस कारण उक्त खसरा नंबर 374 की 35 बीघा बिस्वा भूमि में से केवल 17 बीघा 2 बिस्वा भूमि दिनांक 09–02–1973 को आवंटन की गयी और उक्त भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज करदी गयी, जिसकी राशि वादीगण द्वारा जमा करादी गयी।

वादी का वास्तविक रूप से आवंटन के पश्चात् भी कब्जा काश्त मौके पर 21 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर ही चला आ रहा था और आज भी मौके पर 21 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण का कब्जा 21 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर होने के कारण प्रतिवादी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 374 की 21 बीघा 7 बिस्वा के नये खसरा नंबर 447 की 0–55 हैक्टर, खसरा नम्बर 573 की 0–89 हैक्टर व खसरा नम्बर 575 की 1–98 हैक्टर कुल 3 किता की 3–42 हैक्टर कायम किये। और सेटलमेन्ट का पर्चा लगान सम्वत् 2033 से 2057 उपरोक्त 3–42 हैक्टर भूमि का वादीगण के नाम जारी किया गया। इसके बाद नये खसरा नंम्बर 447 की 0–55 हैक्टर खसरा नम्बर 573 की 0–89 हैक्टर व खसरा नम्बर 575 की 1–98 हैक्टर कुल 3 किता की 3–42 हैक्टर वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही थी किन्तु प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने नामान्तरकरण संख्या 593 दिनांक 19–2–13 को केवल मात्र नये खसरा नं0 447 की 0–55 हैक्टर, खसरा नम्बर 573 की 0–89 हैक्टर व खसरा नम्बर 575 की

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

AC&EM, Kota

1–98 हैक्टर में से 1–30 है0 कुल 3 किता की 2–74 है0 भूमि पर खातेदारी दर्ज कर दी साथ ही साथ खसरा नं0 575 की 0–68 है0 भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज न कर सिवाय चक दर्ज कर दिया जबकि सम्पूर्ण भूमि का कडता लगान वादीगण जमा करते आ रहे है व शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण उक्त 3–42 है0 भूमि पर ही आवंटन के पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है वादीगण के पास उपरोक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है ओर प्रतिवादी द्वारा खसरा नं0 575 की 0–68 है0 भूमि जो गलत रूप से सिवायचक दर्ज की है पर वादीगण का पिछले 50 वर्षो से निरन्तर अबाध रूप से बिना किसी हस्तक्षेप बहैसियत मालिक कब्जा काश्त चले आने के कारण वादीगण को उपरोक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन प्राप्त हो चुके है तथा वादीगण उपरोक्त भूमि के खातेदार घोषित होने वे उपरोक्त भूमि वादीगण अपने नाम खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।

वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो वादीगण को उक्त तथ्यों की जानकारी हुई इस पर वादीगण ने अपने अधिवक्ता के जरियें प्रतिवादी को एक लीगल नोटिस खसरा नं0 575 की 0–68 है0 पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु दिनांक 22–4–2014 को भिजवाया, नोटिस प्रतिवादी को प्राप्त हो गया किन्तु उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही की बल्कि दिनांक 2–9–2014 को प्रतिवादी के कर्मचारी पटवारी हल्का वादग्रस्त भूमि पर आये तथा वादी को धमकी दी कि वादीगण को उक्त खसरा नं0 की 0–68 है0 भूमि जो सिवाय चक दर्ज कि गयी है, से बैदखल कर देगे तथा वादीगण की बोई हुयी फसल को जप्त कर लेगे तथा वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करने से इन्कार कर दिया। यदि प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधि को उक्त कृत्य करने से नही रोका गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी।

उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नं0 575 की 1.98 है0 में से 0–68 है0 भूमि सिवायचक दर्ज करने पर, वादी का एडवर्स पजेशन होने से बावजूद भी उक्त भूमि को प्रतिवादी के सिवायचक खाते से हटाकर वादीगण के खाते दर्ज न करने व दिनांक 22–4–2014 को नोटिस देने के उपरान्त भी कोई जवाब व कार्यवाही नही करने पर व दिनांक 2–9–2014 को वादी के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही कर बैदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जिसकों धारा 80 जा0दी0 के तहत पूर्व में दिनांक 22–4–2014 को नोटिस दिया जा चुका है। वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नही दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है, कारण की वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि ग्राम गन्दीफली तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर की 575 की 1.98 है0 में से 0–68 है0 भूमि जो सिवायचक दर्ज की गयी है, का वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड से ग्राम गन्दीफली

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

AC&EM, Kota

तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नं0 की 575 की 0.68 भूमि प्रतिवादी के सिवायचक खाते से हटाई जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जावे। प्रतिवादी को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे। एक स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी, वादी को ग्राम गन्दीफली, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर की 575 की 1.98 है0 में से 0–68 हैक्टर भूमि जो सिवाय चक दर्ज की गयी है, से वादीगण को धारा 91 ले0रे0 एक्ट की कार्यवाही कर बेदखल नही करें ओर न वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करे। वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

1. प्रदर्श - 1A ग्राम गन्दी के खसरा नम्बर 447, 573, 575 रकबा 3.42 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2067–2070 जिसके टिप्पणी कॉलम में खसरा नम्बर 575 की 0.68 हैक्टर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश हुआ।
2. प्रदर्श - 2A तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा द्वारा वादीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश की प्रति दिनांक 25.04.1973 जिसमें वादीगण के नाम खसरा नम्बर 374 की 17 बीघा 2 बिस्वा आराजी दर्ज थी।
3. प्रदर्श - 3A खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रमाण पत्र जिसमें 2.74 हैक्टर को खातेदारी में दर्ज करने तथा शेष 0.68 हैक्टर को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
4. प्रदर्श - 4A to 17A सिंचाई विभाग की गत रसीदें जिनके माध्यम से वादीगण द्वारा सिंचाई कर जमा कराया गया था।
5. प्रदर्श - 18 प्रतिवादी को धारा 80 जा.दी. के तहत भिजवाये गये नोटिस की प्रति।
6. प्रदर्श - 19-20 राजिस्टर्ड डाक की रसीदें।
7. प्रदर्श - 21A to 26A सिंचाई विभाग की गत रसीदें जिनके माध्यम से वादीगण द्वारा सिंचाई कर जमा कराया गया था।
8. प्रदर्श - 27A भू. प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान जिसमें 3.42 हैक्टर आराजी वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज थी।

न्यायालय में वाद पेश होने पर प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये। तामील उपरान्त तथा वादी द्वारा पृथक से लिखे जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब, साक्ष्य आदि पेश नही किये गये, फलस्वरूप, प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस अन्तिम में आने पर वादीगण के विद्वान अभिभाषक की, प्रकरण पर, बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में, वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये विवादित आराजी को कब्जे के आधार पर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादी वकील की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत के काबिज काश्त है तथा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहता है जबकि वादीगण के आवंटन आधार पर उसकी गैरखातेदारी की आराजी उसके खाते दर्ज की जा चुकी है। वादी का 21 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर कब्जा होना अंकित किया है। प्रदर्श 2ए के अनुसार वादी को 17 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटित की गई। उक्त 17 बीघा

AC&EM, Kota

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

2 बिस्वा के वर्तमान पद्यति अनुसार 2.736 हैक्टर बनते है। इसी के अनुसार वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज 2.74 हैक्टर आराजी को उनकी खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो कि पूर्णतः न्यायसंगत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटन के आधार पर 2.74 हैक्टर आराजी को वादीगण के गैरखातेदारी में तथा, तदुपरान्त नियमानुसार खातेदारी में दर्ज किया गया जो सही है। वादी द्वारा ग्राम गन्दीफली के खसरा नम्बर 575 रकबा 1.98 हैक्टर में से उक्त 2.74 के अतिरिक्त 0.68 हैक्टर भूमि, जो सिवायचक दर्ज की गई है, का वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है। साथ ही कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसरण में वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21 मार्च, 2018 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– जे. एस. संधु, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1 छीतरलाल आत्मज बिरधी लाल

2 मदन लाल आत्मज बिरधी लाल

जाति ब्राहम्ण, निवासीगण भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादी

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 6 / 17
निर्णय दिनांक : 21-03-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री जितेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 21–03–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री जे. एस. संधु, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 21.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	